e

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 78 (X) / 2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0म0निति – 119 / 85 / 2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या – 914 / रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जाँच प्रारम्भ की गयी। जाँच के कम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा आसना सीधा थाना नं0 159 खाता नं0 101
प्लॉट नं0 388 रकवा 05 डी0 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट संख्या 291 पर जमाबंदी रैयत झारखंड सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित ज़ाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलख दिनांक 26.9.2016 को उपस्थापित करे।

अंचल अधिकारी,
तोपचॉची
9.9.16

अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में......सुनिता देवी......द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष......................तक भुगतान किया गया है।

मौजा-...आसनाडिंघा.......थाना नं०...159...खाता नं०...101.....

प्लाट नं० 388... रकवा..05 डि...कुल.....05 डि.....

भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है:-

1. जमाबंदी सृजित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात नहीं होने से इंकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अतः मौजा-..आसनाडिंघा.........थाना नं०...159....खाता नं०..101.....

प्लाट नं०.388.. रकवा...05 डि.....कुल..................धूर, कुल.....05 डि.............धूर,भूमि जो प्रतिवादी.......मदन दास.... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदानुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/20

अंचल अधिकारी
तोपचॉची।

13/8/20

अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- मदन प्रसाद सिंह —
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
अहियापुर	159	101	388	0.556

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या........1........ पृष्ठ सं०–291 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 95–96
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– बिहार सरकार
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– बंदोबस्ती केस नं० 52(X) 95-96
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– —
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – 5 डि० नहीं बन्दोबस्ती —
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) — पंजी II
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	563666	7/11/96	95-96